

## कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नर्सरी लोकसेवेल फोन न. 0291-2636753 ई-मेल: dfojodhpur@gmail.com

क्रमांक: एफ (593)एफ.सी.ए/उवसं/2021-22/ 6185

दिनांक: 02/8/2021

निमित्त:- सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर।

विषय: प्रस्तावित रोड़ कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड से पाली सम्पर्क रोड़ हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं. FP/RJ/16088/2015, क्षेत्रफल 0.3291 के संबंध में।

संदर्भ : कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 14 (62/9) 2018/एफ.सी.ए/प्रमुवसं/1800 दिनांक 15.07.2021 एवं कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर का पत्र क्रमांक 3714 दिनांक 19.07.2021 (छायांप्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में उच्च कार्यालय द्वारा लगाए गए निम्न आक्षेपो की पूर्ति करके आपके द्वारा प्रपत्रो मे मयस्टाम्प हस्ताक्षरित कर पुनः ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करके 4 प्रतियों में हार्ड कॉपी इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करे :-

- (अ) प्रस्ताव को गुगल अर्थ पर देखने पर स्पष्ट होता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बताई वन सीमा सही वन सीमा नहीं है।
- (ब) वनखंड के खसरा मैप पर प्रस्ताव का नाम, संख्या एवं क्षेत्रफल तथा चारो ओर के वनखंड की सीमा से लगते राजस्व खसरान को सुस्पष्ट अंकित कर ताकि सही स्थान ज्ञात हो सके।

अतः आप उक्त आक्षेपो की पूर्ति करके प्रस्ताव की 4-4 हार्ड कॉपी/प्रतियाँ तैयार कर प्रस्ताव फाईल फोल्डर इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सकें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(राज बिहारी मित्तल)

उप वन संरक्षक

जोधपुर

दिनांक:

क्रमांक:सम

प्रतिलिपि: मुख्य वन संरक्षक, महोदय जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

ॐ

उप वन संरक्षक

जोधपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(62/9)2018/एफसीए/प्रमुवसं/ 1800  
मुख्य वन संरक्षक,  
जोधपुर।

दिनांक 15.7.21

विषय:-कुड़ी भगतासनी हाउसिंह बोर्ड से पाली सम्पर्क सड़क हेतु 0ण3291  
है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव (FP/RJ/Others/16068/2015)  
संदर्भ:-3232 दिनांक 06.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव में निम्न कमियां पाई गई है। अतः प्रस्ताव लौटाकर लेख है कि बाद पूर्ति प्रेषित करावे।

1. प्रस्ताव में 0.3291 हैक्टर के लिये 2 हैक्टर सी.ए. डी.एफ.एल. हेतु राशि रु 15.48 लाख का प्राक्कलन जो अव्यवहारिक है।

2. प्रस्ताव को गुगल अर्थ पर देखने पर स्पष्ट होता है कि युजर ऐजेंसी द्वारा बताई वन सीमा सही वन सीमा नहीं है।

3. उक्त वन क्षेत्र में से दो ओर सड़को को मुख्य सड़क से जोड़ रही है। क्या अ सड़क मार्ग की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत कर ली गई है?

4. वन खण्ड के खसरा मैप पर प्रस्ताव को अंकित कर प्रस्तुत करें ताकि सही स्थान ज्ञात हो सके।

संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीय,

( एस.के.दुबे )

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक

क्रमांक: एफ. 14(62/9)2018/एफसीए/प्रमुवसं/

प्रतिलिपि:-उप वन संरक्षक, जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

( भवानी सिंह )

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर